

कार्यालय पुस्तकालय अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ

उपरोक्त कार्यालय में वर्ष 2000 से 2021 तक उपलब्ध राजपत्र (गजट) की सादा जिल्दबंदी हेतु जिल्दसाजो से उद्धरण (Quotation) दिनांक 09.08.2024 तक आमंत्रित किये गए थे। परन्तु किसी जिल्दसाज द्वारा उद्धरण पुस्तकालय अनुभाग में प्राप्त नहीं कराए गए। अतः पुनः जिल्दबंदी हेतु जिल्दसाजों से उद्धरण (Quotation) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक जिल्दसाज अपना-अपना कोटेशन दिनांक 17.08.2024 तक पुस्तकालय अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ में समय अपराह्न 2.00 बजे तक बन्द लिफाफा में प्रस्तुत करें। केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बदायूँ निम्नलिखित अधिष्ठानों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक :-12.08.2024

(मिर्जा जीनत)

प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय अनुभाग/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, बदायूँ।

1. जिलाधिकारी, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
2. जिला पंचायत, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
4. नगर पालिका, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
5. केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
6. पुस्तकालय अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
7. कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ में नेट पर अपलोड करने हेतु।


(मिर्जा जीनत)

प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय अनुभाग/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, बदायूँ।